फर्द अहकाम

न्यायालय

गंगा देवी बनाम उषा वगैरह

मुकदमा संख्या/वर्ष 77/22 टी : /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रा.पत्र ली. आई. हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी व अपार्थी अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। प्रार्थी द्वारा बहस हेतु आगामी तारीख सांगानेर मुख्यालय हेतु नियत किए जाने का निवेदन किया गया है। अतः पत्रावली बाबत बहस प्रा.पत्र ली. आई. दिनांक 21/02/24 को सांगानेर मुख्यालय पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	21/2/24	पत्रावली पेश हुई। प्रतिअधि. उप. प्रकरण में मूलवाद फैसला किया जा चुका है। अतः अपील पत्र बाबत [illegible] साक्ष्य हीन [illegible] फैसला [illegible] को [illegible] प्रस्तुत [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 15:52:25 IST
Reason: SelfAttested